GCMS-2023/63

अनुवान ग्रा.प. ताबू बनाम

किस्म मुकदमा 181, 136 LR Act नम्बर 27/23 सन

तारीख	कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/2/23	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत भोपालगढ़ में पेश हुई। प्रार्थी ग्राम पंचायत ताबू ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 181, 136 LR Act रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने का पेश किया। पटवारी हल्का ताबू, भू.अ.नि. ताबू तहसीलदार ओसियां की जांच रिपोर्ट मे ग्राम [illegible] के ख.नं. 617, 617/1, 614, 618, 771, 775 मे रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने की अनुशंषा की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज दिनांक 11/2/23 को सुनाया गया।
	(श्रीमती सुनीता चौधरी) RJS न्यायिक अधिकारी (श्री ताराचन्द वेंकर) RAS राजस्व अधिकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

क्रमांक कोर्ट/2023/65 दिनांक 11/2/2023

सरकार बनाम कन्नेसिंह वगैरा

आदेश

तहसीलदार ओसियां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल, नक्शा, पटवारी व भू.अ.निरीक्षक, अभिशंषा तहसीलदार ओसियां को ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार पटवार मण्डल तापू के ग्राम ह3.मानसागर तहसील ओसियां के खसरानात

खसरा नं.	कुल रकबा हैक्टर में	रास्ते का रकबा हैक्ट.	खसरा नं.	कुल रकबा हैक्टर में	रास्ते का रकबा हैक्ट.
617	8.8869	0.1800			
617/1	1.2626	0.0960			
614	21.6911	0.3000			
618	16.5031	0.1800			
771	13.2413	0.1680			
775	15.0381	0.1770			

उपरोक्तानुसार चल रहे रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु पेश किया, जो चालू है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही जांच भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार ओसियां की अभिशंषा के अनुसार यह पाया गया कि आवेदन तथा संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदीमी/स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6, विभाग के परिपत्रांक प. 3(17)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों अनुसार आवेदक खातेदारान की खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंकन से शेष कदीमी रास्ते को खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गै.मु.रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार ओसियां को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें मे संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ठ ए में वर्णितानुसार करावे। तहसीलदार ओसियां इस आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

यह आदेश आज दिनांक 11/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
ओसियां
11/2/2023

केम्प ओ पालमह.

Scanned with OKEN Scanner